

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1986 /

जबलपुर, दिनांक 18 /04 /2018

श्री मोहम्मद अहमद, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से (एम.ओ.एम.) स्टेनो पाठ्यक्रम वर्ष 2018-19 करने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(मो. फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 18 /04 /2018

क्रमांक C/1987 /

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशासन) / कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने एवं संबंधित को अवगत कराने हेतु,
 3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. अनुभाग अधिकारी स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. श्री मोहम्मद अहमद, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(यू.एस. दुबे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.